समक्ष माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर केंप जबलपुर

निगरानी प्रकरण क्रं. सन् 2017

आवेदक – हाफिज गुलाम मुईनुद्दीन आत्मज साबिर महतो
निवासी – म.नं. 827, दक्षिण मिलौनीगंज, जबलपुर

बनाम

अनावेदक – म.प्र. शासन

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959

श्रीमान् तहसीलदार गोहलपुर अनुभाग जबलपुर द्वारा रा.प्र.क्रं. 181/अ–12 सन् 2014–15 में दिनांक 18.09.2016 को गलत सीमांकन का अनुमोदन कर प्रकरण नस्ती किये जाने का आदेश दिये जाने से दुखी होकर न्यायदान हेतु आवेदक पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करता है :–

1– यह कि आवेदक ग्राम बेतला, न.बं. 52, प.ह.नं. 01, तहसील जिला जबलपुर स्थित ख.नं. 85/5 रकवा 0.036 हे. भूमि का भूमि स्वामी मालिक कब्जिज है ।

2– यह कि आवेदक का नाम राजस्व अभिलेख खसरा में भूमि स्वामी की हैसियत से दर्ज है किन्तु नक्शा में ख.नं. 85 के बटांक नहीं किये गये हैं।

3– यह कि आवेदक द्वारा अपनी भूमि स्वामी हक्क की उक्त भूमि का सीमांकन किये जाने एवं नक्शा बटांक किये जाने हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये श्रीमान् तहसीलदार गोहलपुर अनुभाग जबलपुर के न्यायालय में आवेदक पत्र प्रस्तुत किया गया ।

4– यह कि आवेदक के आवेदन के आधार पर श्रीमान् तहसीलदार गोहलपुर अनुभाग जबलपुर द्वारा राजस्व निरीक्षक को सीमांकन एवं नक्शा बटांक का आदेश दिया गया ।

5– यह कि राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 27.07.2015 को आधा अधूरा

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-694-एक/17 **जिला** - जबलपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01.05.2018	प्रकरण आज लिया गया। आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री के.के. द्विवेदी उपस्थित। उन्हें ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर दिए गए तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह निगरानी तहसीलदार गोहलपुर के आदेश दिनांक 18.09.2016 के विरुद्ध दिनांक 20.02.2017 को इस न्यायालय में पांच माह विलंब से प्रस्तुत की गई है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा विलंब के संबंध में कोई ठोस एवं समाधानकारक कारण प्रस्तुत नहीं किए गए हैं जबकि अवधि विधान की धारा-5 के अनुसार विलंब के संबंध में दिन-प्रतिदिन का स्पष्टीकरण दिया जाना अनिवार्य होता है। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है। **प्रशासकीय सदस्य**	